



2026:AHC-LKO:20043

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-बी संख्या - 226 वर्ष 2026

अमित गुप्ता

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप संचालक, चकबंदी, हरदोई

एवं अन्य

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: प्रशांत पाण्डेय, वीरेंद्र प्रकाश पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थाई अधिवक्ता, अरविन्द कुमार

वर्मा,

दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या-5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत पाण्डेय, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय को सुना तथा श्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिवादी संख्या 4, 5 एवं 6 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया , जिसे अभिलेख पर लिया गया ।
2. याचिकाकर्ताके अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने ग्राम लोधी, तहसील संडीला, जनपद हरदोई में स्थित गाटा संख्या 1005 का क्रय किया था। यह भी कहा गया कि चकबंदी कार्यवाहियों के दौरान, चकों के आवंटन के संबंध में तथा याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादियों के पक्ष में आवंटित चक के स्थान के संबंध में कुछ विवाद था। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत की , जिसे दिनांक 06.12.2007 को उसके पक्ष में निर्णयित किया गया। दिनांक 06.12.2007 के आदेश के विरुद्ध, निजी प्रतिवादियों ने उप संचालक, चकबंदी के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, यह कहते हुए कि अपीलीय प्राधिकारी ने बिना किसी सुनवाई का अवसर प्रदान किए अपील को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार दिनांक 06.12.2007 के आदेश की वैधता को चुनौती दी। उप संचालक, चकबंदी ने दिनांक 29.05.2015 के आदेश द्वारा निजी प्रतिवादियों के पक्ष में यह निष्कर्ष दिया कि अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि निजी प्रतिवादियों को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था और तदनुसार दिनांक 06.12.2007 के आदेश को निरस्त कर दिया।
3. यह प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण को पुनर्विचार हेतु बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के समक्ष प्रत्यावर्तित करने के स्थान पर, उन्होंने गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करते हुए चकों का पुनः आवंटन निजी प्रतिवादियों के पक्ष में कर दिया, और याचिकाकर्ता द्वारा वापसी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे भी दिनांक 21.11.2025 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तथा इस प्रकार दिनांक 21.11.2025 एवं 29.05.2015 के आदेशों को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. यह न्यायालय पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि दिनांक 06.12.2007 का आदेश बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी द्वारा निजी प्रतिवादियों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था और प्रकरण के इस पहलू का याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवाद नहीं किया गया है।

5. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि जब यह पाया गया कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में पारित किया गया है, तब स्वाभाविक परिणाम यह होना चाहिए था कि प्रकरण को पुनर्विचार हेतु वापस प्रेषित किया जाता ताकि विरोधी पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उसका निर्णय किया जा सके। अतः उप संचालक, चकबंदी द्वारा इस प्रकार प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करना त्रुटिपूर्ण रहा है। इस चरण पर, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि वर्तमान रिट याचिका में प्रश्नगत आदेश को निरस्त कर दिया जाए और प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के समक्ष प्रत्यावर्तित किया जाए, जो सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आदेश पारित करें।

6. तदनुसार, उपर्युक्त परिस्थितियों में, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

7. दिनांक 27.11.2025 का आदेश पूर्णतः निरस्त किया जाता है, तथा दिनांक 29.05.2015 का आदेश उस सीमा तक निरस्त किया जाता है, जिस सीमा तक उसमें गुण-दोष के आधार पर चर्चों का पुनः आवंटन करते हुए नवीन आदेश पारित किया गया है और जिस सीमा तक उसमें दिनांक 06.12.2007 के आदेश को निरस्त किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

8. पक्षकारों की सहमति से, यह भी उपबंधित किया गया है कि अपील लंबित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखी जाएगी और पक्षकार संपत्ति का अंतरण नहीं करेंगे तथा बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी उक्त अपील पर विधि के अनुसार, इस आदेश की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, यथाशीघ्र विचार कर निर्णय करेंगे।

9. पक्षकारों ने यह वचन दिया है कि वे बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग करेंगे और कोई अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

19 मार्च, 2026

मुक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।